

गणपालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा  
ब्लॉक-सी-3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,  
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

—00—

कमांक/२५७०/८८७/आउशि/समन्वय/२०१९  
प्रति,

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

1. कुल सचिव,  
समस्त विश्वविद्यालय,  
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,  
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,  
छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र २०१९-२० हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।  
संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ १७-९५/२०१७/३८-२ अटल नगर रायपुर, दिनांक २४.०५.२०१९

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र २०१९-२० हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत २०१९-२० की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत २०१९-२० में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(डॉ. किरण गजपाल)  
संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

पृ.कमांक/२५७०/८८७/आउशि/समन्वय/२०१९  
प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

  
PRINCIPAL  
Govt. Mahendra Karma Girls College  
Dantewada Distt. South Bastar (C.G.)

  
संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालयः

महानदी भवन, अटल नगर  
जिला-रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 26/5 /2019  
प्रति,

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नया रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश  
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव जावक क्रमांक 1077 दिनांक 06.05.2019


-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के  
लिये शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति  
संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते  
हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित  
करने का कष्ट करें।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
(सविन्द्र मेढेकर)  
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / /2018  
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।  
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. गार्ड फाईल।

  
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2019-20

## 1 प्रयुक्ति

1.1 प्रवेशपत्र के विद्यमान छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ लागू करने हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों का शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

## 2 प्रवेश की तिथि :-

### 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदन पत्रों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पत्रों पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित अंक सूची पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

### 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

सहायक प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति के अनुमोदन पर प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिनों तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों तक आगे बढ़ाई जा सकती है। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

## स्पष्टीकरण :-

आवेदक को किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश दिया गया उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) वाली महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

### 2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के अंतिम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

### 3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बड़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि सनातन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में वार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

### 4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु दायजित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तियों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तियों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किया जाना एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

43. निवीरत शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की रील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
44. घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी विद्यालयों में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
45. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एक आईआर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
46. महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित माफनाय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में साक्षिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
47. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10/09/2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।
5. प्रवेश की पात्रता :-
- 5.1. निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-
- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सत्यद्व विश्वविद्यालय से या सम्यद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदकों को प्रवेश प्रदान किया जाए।

52

### स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य आर कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण होने पर प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों/क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर समय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

53

### स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम/बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एम.कॉम/एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
  2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

54

### विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगी।

55

### प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाह्न में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 50%) होगी।

MCI/NCH BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित प्रवेश संवादन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

**समकक्ष परीक्षा :-**

उ.1 संकलित वाले आप सकारण एजुकेशन (सी.बी.ए.आई.), इंडियन काउंसिल फार सेकेंडरी एजुकेशन (आई.सी.ए.आई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षार माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड सूची समकक्ष विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

उ.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय राध (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी भारत परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जा दूरवर्ती पाठ्यक्रम संवादि करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर क किसी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ केम्प आदि खोलकर छात्र छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

उ.3 समकक्ष विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विही विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य समकक्ष विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

उ.4 वर्ष 2012 में प्रारम्भ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिक प्रदान की जाय।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशारकीय पत्र क्रमांक ए.52/2013(सीसी-एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार

जैसा कि आपका ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय मानक अर्द्धता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षक अर्द्धता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण विषयों का निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि य स्तर 1 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत स्तरों में

क प्रमाणित स्तर संश्लेषित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिन्होंने 12 स्तर में यावसायिक विषय थे व अलागकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आग्रह है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को शैक्षणिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

#### 7 बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्वद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम/द्वितीय/तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों का उनके द्वारा सम्वद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसी प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 शिक्षण एवं अन्य प्रायागिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के गृहपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त विद्यार्थी आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त विद्यार्थी आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।



90. किसी भी राज्य/राज्य/क्षेत्र में निर्धारित एसीमा 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले छात्रों/छात्राओं को उनी कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
91. अधिकांश वीडियो 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों का अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
92. किसी भी राज्य में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश के लिए नियमित प्रवेश के रूप में गणना नहीं की जाएगी।
93. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-  
 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि छात्र/छात्राओं ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया था तो आवेदन के माध्यम से प्रवेश हेतु अर्हते नहीं माना जाएगा, उस मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अभाव में। जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर नियमित प्रवेश दिया जाएगा।
94. किसी भी न्यायालय में बालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रमाणित हो तो परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन को मंजूर करना का गंभीर आरंभ हो/वेतापनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो। इसी छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।
95. महाविद्यालय में लीडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/संलग्न आशयों छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत अधिकृत हैं। हेतु सीमिते मरिज कर जॉव करवायें एवं जॉव रिफॉर के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाय। इस छात्र छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
96. प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-  
 (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वर्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष की आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदकों के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।  
 (ख) आवेदकों का देवन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय/उपकार्यक्रमों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन करने वाले छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेगटरीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगी।  
 (ग) किसी भी राज्य में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

- (10) सार्वजनिक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (11) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निशक्त आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शारासकीय/अशासकीय सार्वजनिक कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अभाव में स्नातक प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अभाव में स्नातक प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोजित/अनुसूचित वर्ग/पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
- 9.6 विरोधी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के माध्यम से प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-
- 10.1 प्रत्येक स्नातक एवं स्नातकोत्तर आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जाएगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अंकों का अंतर।
- (ख) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निशक्त आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- (ग) विरोधी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के माध्यम से प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 10.2 अनासक्त एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-
- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक स्नातकोत्तर विविध कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अंकों का अंतर।
- 11.2 स्नातक, स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अंकों का अंतर।
- 11.3 विधि संकाय को छोड़कर अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्जीमेट प्राप्त करने वाले छात्रों का प्राथमिकता का आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निकट तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.5 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निकट तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

आरक्षण की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त  
नहीं होने पर गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों का पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।  
12.2 किन्तु उपरोक्त प्रस्तावित शैक्षणिक महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय  
स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी का अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में  
महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12.1 आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक संघ में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इ  
परिस्तर निम्नोत्तर शीत से होगा, अर्थात् :

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रति  
सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रति  
सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रति  
सीट अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों  
अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों  
तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह आर कि पूर्वगामी परतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क)  
(ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अ  
न्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्ष  
उर्ध्वार (वर्दीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निरक्षर व्यक्तियों, माहिलाओं, भूतपूर्व कर्मिकों / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्र  
सैनिकों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संवध में क्षेतिज आरक्षण  
प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम  
अनुसूची के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख)  
तथा (ग) के अधीन यथास्थिति उर्ध्वार आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वयंसेवा सेनाओं के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगे  
संशान श्रेणियों के अपेक्षकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगे।

12.4 संघ जनों व उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होगा।

12.5 आरक्षित श्रेणियों का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आप  
कक्षा परीक्षा में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सी  
कक्षा में अनुसूचित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्र  
के अंतर्गत रहेगा।

का भी इन तीनों समर्थ की यह सोच उस आरक्षित श्रेणी में गरीब माननी जावेगी, शेष समर्थ को नहीं जायेगा।

- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1-2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं।  
 1-2 प्रतिशत एन एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।  
 12.7 जम्मु वश्मिर विस्थापित तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जायेगा।  
 तथा कुलान एक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।  
 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।  
 12.9 कडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्देशों का अक्षरबोध रहेगा।

12.10 न्यायालय के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्र. एम्.ए.पी. (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अनिल कुमार शर्मा विरुद्ध भारत सरकार दिनांक 15.04.2014 की कडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि --  
 direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." की कडिका से पालन किया जाए।

13 अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार ताना जायेगा। हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों का अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही दाय होगा।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स / गाइड्स / रेजर्स / रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| (अ) | एन.एस.एस. / एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट  | 02 प्रतिशत |
| (ब) | एन.एस.एस. / एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट   | 03 प्रतिशत |
|     | या प्रतियोगिता सापान उत्तीर्ण स्काउट्स  |            |
| (ग) | "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय स्तरीय उत्तीर्ण स्काउट्स   | 04 प्रतिशत |
| (घ) | राज्य स्तरीय संवालयालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में गुण का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को                       | 04 प्रतिशत |
| (ङ) | नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कंटेन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (च) | राज्यस्तरीय स्काउट्स  | 05 प्रतिशत |
| (छ) | राज्यस्तरीय स्काउट्स  | 10 प्रतिशत |

12.	भारत एन अन्व साफ्ट व मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडिडेट एन सी सी / एन ए स् ए स् के लिए कर्मान्वित एवं प्रचार करने वाले कैंडिडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्मान्वित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत
13.	अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर स्तर में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
13.1	खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विविध / रूपांकन प्रतियोगिताएं -	
(1)	लोक शिक्षण संवालयालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला/सभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संगठन स्तर प्रतियोगिता में	
(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत
(2)	उपर्युक्त कोडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संवालयालय द्वारा आयोजित अन्तरांग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू द्वारा आयोजित प्रांतीय प्रतियोगिता में अथवा सरादीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में	
(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	समान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
(3)	भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, सरादीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में	
(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत
13.2	भारत एन अन्व साफ्ट के मध्य यूथ अथवा साईंन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में कर्मान्वित एवं प्रचार करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत
13.3	छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में	
(क)	छत्तीसगढ़ एम प्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को	10 प्रतिशत

12. विशेष प्रोत्साहन :-

जम्बू विश्वीर, जम्बू एन महाविद्यालय के हित में एन सी सी, खलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन सी सी के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कंडक्टर तथा आर्जीमेन्ट/एशियाड/स्पोर्ट्स जम्बू विश्वीर आफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तरीष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को वगैरे गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी स्वीकृति है कि :

12.1 इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जांचोपजांचित किया गया हो, एवं

12.2 यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयबधि के अंतर्गत जम्बू विश्वीर महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

12.3 प्रवेश पत्र में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर स्तर तक प्राप्त प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य मान्य आयमान स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

13. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

संकाय, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश पत्र में जाल विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा, जिनका धरो दिये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने तक अर्थात् 22 में उल्लिखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय को मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

14. शोध छात्र :-

राजकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। इस दौरान प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुमति पर प्रयोग करने की अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करने के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जाएगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय को आवश्यक प्रत्येक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही प्रवेश पत्र के अंतर्गत प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा अनधिकृत लकर कोई शिक्षक यादें शोध छात्र को जमा


कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16 **विशेष :-**

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।



  
(डॉ. किरण गजपाल)  
संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नया रायपुर (छ.ग.)